पत्रांक 4300 / आयु0क0 / उत्तरा0 / धारा–57 / वा0कर / 2009–10 / दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादूनः06 जनवरी, 2010

प्रार्थना पत्र सं0 – 19.3.09
सर्वश्री यूईएम इण्डिया लि0,
सिडकुल हरिद्वार।
निर्णय का दिनांक– जनवरी 2010,
फर्म की ओर से उपस्थित– श्री सुरेन्द्र अवस्थी, कामर्शिलय मैनेजर।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

मैसर्स यूईएम इण्डिया लि0, सिडकुल हरिद्वार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र देते हुये उनके द्वारा Built, Operate & Transfer (BOT) आधार पर निर्मित किये गये Waste Water Collection & Common Effluent Treatment Plant को प्रोसेस यूनिट मानते हुये उसके निर्माण में की गयी अन्तर प्रान्तीय खरीद के लिये फार्म सी की अनुमन्यता प्रदान करने हेतु आग्रह किया गया है।

2 विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध कराते हुये स्पष्ट किया गया है कि फर्म द्वारा उक्त Treatment Plant के निर्माण के लिये पंजीयन प्राप्त किया गया है उनके द्वारा प्रसंस्करण अथवा निर्माण के लिये पंजीयन प्राप्त नही किया गया है।

3 वाद की सुनवाई हेतु फर्म की ओर से श्री सुरेन्द्र अवस्थी, कामर्शियल मैनेजर, उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये बिन्दुओं को दोहराते हुये उनके द्वारा निर्मित प्लान्ट को प्रसंस्करण यूनिट मानने का आग्रह किया गया।

4 मेरे द्वारा फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा इस सम्बन्ध में रखे गये तथ्यों व विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–21 के तहत "विनिर्माण" को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है:–

" विनिर्माण से ऐसे कार्यकलाप अभिप्रेत है, जो किसी वस्तु में कोई परिवर्तन लाता है या जिसके परिणाम स्वरुप किसी नई और भिन्न वस्तु, जैसा कि व्यावसायिक भाषा में समझा जाता है, में रुपान्तरण हो जाता है, और इसमें किसी माल का उत्पादन करना, बनाना, खनन, संग्रहण, निष्कर्षण, परिवर्तन, अलंकरण, परिरुपण, संयोजन या अन्यथा प्रसंस्करण, शोधन या अनुकूलन भी सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत विनिर्माण की कोई ऐसी प्रकिया या पद्वति जो विहित की जाये, सम्मिलित नही होगी।

उक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि विनिर्माण के तहत केवल उसी प्रकिया को सम्मिलित किया जा सकता है जिसके द्वारा किसी वस्तु के स्वरुप, आकार, गुण अथवा उपयोगिता में परिवर्तन आता है या जिसके परिणाम स्वरुप एक नई और भिन्न वस्तु, जिसका कि सामान्य वाणिज्यिक गतिविधियों में अलग अस्तित्व हो, का निर्माण होता है। फर्म के द्वारा जो व्यवसायिक गतिविधियां अपनी यूनिट में की जा रही है उसके द्वारा किसी नई वस्तु का निर्माण नही होता है। Treatment Plant से निकलने वाले सह उत्पाद " Sludge" के लिये उक्त यूनिट को प्रोसेसिगं यूनिट की मान्यता नही दी जा सकती है। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि फर्म द्वारा विभाग में कार्य संविदा (Works Contract) हेतु पंजीयन प्राप्त किया गया है । अतः फर्म को उक्त अधिनियम की धारा–2 की उपधारा–55 में 'सर्कम संविदा' की यथा परिभाषित गतिविधियों हेतु ही माल के अन्तरण में प्रयुक्त माल की अन्तरप्रान्तीय खरीद के लिये फार्म "सी" की सुविधा है गुण दोष के आधार पर कर–निर्धारण के स्तर से ही विचार किया जा सकता है।

06 01 2010

पृ0 2

इस प्रकार व्यापारी के द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

06 01 2010
(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 4300/दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0 शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
7. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
8. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
9. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
10. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
11. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
12. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
13. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
14. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

06 01 2011
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

O/C